

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 29, शुक्रवार, शाके 1948- जून 19, 2026 Jyaistha 29, Friday, Saka 1948- June 19, 2026		

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 10, 2026

संख्या प.12(2)नविवि/मंडापुरा (बालोतरा)/2026 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, बालोतरा द्वारा राजस्व ग्राम मंडापुरा के खसरा न. 217 रकबा 0.7082 हैक्टेयर व 4360/1123 रकबा 3.4071 हैक्टेयर कुल रकबा 4.1153 है, मैं मंडापुरा बहुउद्देशीय वाणिज्यिक योजना विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित योजना की सीमायें निम्नानुसार हैं:-

उत्तर:- ग्राम मंडापुरा के खसरा नं. 1124/207

दक्षिण:- ग्राम मंडापुरा के खसरा नं. 218, 2185/218 व 1131/215

पूर्व:- ग्राम मंडापुरा के खसरा नं. 1120/207

पश्चिम:- ग्राम मंडापुरा के खसरा नं. 4359/1123 व 221

उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्शा नगर विकास न्यास बालोतरा के कार्यालय में उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्य दिवस में सायं 03:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।